

Y
24/03/26

28/04/26 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष अनुपस्थित।
स्वयं घाटी। प्रतिवादीगण अनुपस्थित। तीन
बार कक-कक कर आवाज लगाई लेकिन
कोई भी उपस्थित नहीं हैं। अतः प्रकीर्ण
अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज
की जाती हैं। पत्रावली फैसला शुमार
होकर नम्बर से कम होकर बाद लगीत
दाखिल सुफलर हो।



Y
28/4/26

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला इलाहाबाद (राज.)

